संख्या-155/2020/2833/26-3-2020-23(विविध)/2018

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर 2020

विषय:- **राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय तेन्दुकला जहांगीरगंज जनपद-अम्बेडकरनगर के शैक्षिक आवास निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-1583-84/स0क0/ आ0प0वि0-प्रकोष्ठ (114)/तेन्दुईकला अम्बेडकरनगर/शै0आ0नि0/2020-21, दिनांक-20.10.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 में संचालित योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, तेन्दुकला जहांगीरगंज, जनपद-अम्बेडकरनगर के शैक्षिक आवास निर्माण कार्य हेतु **द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-57.87 लाख (रूपये-सत्तावन लाख सत्तासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020, 18 मई, 2020 तथा 29 सितम्बर, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्ता कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

पृसं0-155/2020/2833(1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।